IJAER/ May- June -2022/Volume-11/Issue-3 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता : अमेरिका और चीन का दृष्टिकोण

सुनील वर्मा
शोधार्थी
(म.द.स.वि०वि०अजमेर)

डॉ चन्दा केसवानी
आचार्य राज0 विज्ञान
शोध पर्यवेक्षक, स.पृ.चौ. राज. महाविद्यालय
अजमेर

शोध सांराश

संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में सुरक्षा परिषद अपनी संरचना, आकार और विशिष्ट अधिकारों के कारण सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 से ही बहस और संघर्ष का केन्द्र रही है। दूसरे महायुद्ध के बाद महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष, सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों (P-5) व संयुक्त राष्ट्र संघ की अपरिहार्यता के प्रति भारत का दृष्टिकोण सदैव सकारात्मक ही रहा है। शीत युद्ध की अवधि में भारत का प्रयास रहा कि महासभा को ज्यादा सार्थक और क्षमतावान बनाया जाए। परन्तु इसके समानांतर भारत ने सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण की मांग को पुरजोर तरीके से वैश्विक मंचों पर रखना प्रारंभ किया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाँच कार्यकाल तक कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों ने 1979 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की वृद्धि का प्रस्ताव दिया । यद्यपि इस मसौदे का कोई प्रतिफल नहीं मिला। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद सुरक्षा परिषद की क्रियाशीलता और शक्ति में निरन्तर वृद्धि होने लगी। इस बढ़ती शक्ति को प्राप्त करने के लिए भारत भी उत्साहित हुआ। भारत जैसे विकासशील देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को तेज कर दिया। 3 अक्टूबर 1994 को भारत के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने आधिकारिक तौर पर सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा पेश किया। यह लेख पिछले 20 वर्षा (2004–2024) में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावें और कूटनीतिक प्रयासों की खोजबीन करता है। इस अवधि में G–4 (ग्रुप ऑफ 4) व 2007 में L–69 जैसे संरचनात्मक पदों का विकास हुआ। यह ऐसे सामूहिक प्रयास है जिन्होंने सुधार प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इस बीस साल की अवधि में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने अवसरों के अनुरूप भारत की उम्मीदवारी के प्रति

प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस अवधि में भारत 2011–12 व 2021–22 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी रहा है।

मुख्य शब्द

संरचनात्मक पद, लोकतंत्रीकरण, प्रतिनिधित्व, कूटनीतिक प्रयास, G–4, L–69, सुधार–मसविदा, UFC

उद्देश्य

1. संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता का विश्लेषण करना।
2. सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व, वीटो व अन्य सुधार प्रस्तावो की समीक्षा करना।
3. सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रयासो की खोज करना।
4. सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की विश्व व्यवस्था को उपादेयता की चर्चा करना।

प्रस्तावना

द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका और विध्वंस ने महाशक्तियों को मानव सभ्यता की रक्षा हेतु सर्वसम्मत, सार्वभौमिक संगठन के गठन हेतु प्रेरित किया। इस प्रेरणा के फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय शाति और व्यवस्था बनाए रखने के पवित्र उद्देश्य के साथ संघ का जन्म हुआ । इस संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों तनावपूर्ण संबंधों को सुलझाने की दिशा में सराहनीय कार्य किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है :– महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सुरक्षा परिषद संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग है। यह संघ की कार्यपालिका है जो संघ के आदेशों की पालना करवाती है। इसलिए डेविड़ कुशमैन ने सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन' कहा है।

शक्ति और महत्ता के कारण आज सुरक्षा परिषद सर्वाधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। विश्व के लगभग सभी क्षेत्रीय, आर्थिक, राजनीतिक मंचों पर सुरक्षा परिषद के सुधार और विस्तार पर वाद–विवाद हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म के समय सदस्य–राष्ट्रों की संख्या 51 थी, जो अब बढ़कर 193 हो चुकी है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी (कुल 15) होते हैं। सुरक्षा परिषद को संरचना द्वितीय महायुद्ध के समय की भूराजनीतिक संरचना को दर्शाती है। इसके अलावा अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन को वीटो इसलिए दी गयी थी क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता राष्ट्र थे।

सुरक्षा परिषद की संरचना में केवल एक बार विस्तार हुआ था। 1963 में अस्थायी सदस्यों की संख्या 06 से बढ़ाकर 10 की गयी थी। परिषद का यह आकार प्राचीन शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व यूरोप महाद्वीप को प्राप्त है जबकि यूरोप में विश्व की मात्र 5: जनसंख्या रहती है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वाधिक कार्यक्रम भी अफ्रीका महाद्वीप में चल रहे हैं, इसके बावजूद अफ्रीका का एक भी राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अनुरक्षण कार्यक्रमों में विकासशील देशों का सर्वाधिक योगदान होने के बाद भी तृतीय विश्व के प्रतिनिधित्व को नकारा जाता है। इसलिए पिछले कुछ समय से सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है, यद्यपि यहाँ से आगे की राह लम्बी एवं कठिन है, परन्तु सकारात्मक परिणाम संभव है और प्राप्ति योग्य भी है।

मुख्य पाठ

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के शब्दों में, "ऐसे में जबकि दुनिया भर में टकरावों का फैलाव हो रहा है, सुरक्षा परिषद की बुनियादी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था कायम रखना है' मगर ये संस्था इस समय लगातार अंपगता की चिंताजनक चपेट में जकड़ी नजर आ रही है'' महासभा अध्यक्ष का यह बयान स्पष्ट करता है कि सुरक्षा परिषद महाशक्तियों के राष्ट्रीय हितों के आगे बेबस हो जाती है। उचित प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक भावना के अभाव के कारण इस महत्वपूर्ण संस्था को लकवा भी हो गया है। इसलिए दरकार है कि सुरक्षा परिषद के आकार का विस्तार हो, सभी महाद्वीपों को उचित प्रतिनिधित्व मिलें, संस्था अधिक उत्तरदायी, लोकतांत्रिक और पारदर्शी बने ।

सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु 1995–96 में रजाली इस्माइल कार्यदल गठित हुआ था। इस दल ने सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 से बढाकर 24 करने का प्रस्ताव दिया। 05 स्थायी सदस्य जिनमें जर्मनी और जापान हो तथा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से 01–01 सदस्य शामिल हो। इसके अलावा 04 नये अस्थायी सदस्य भी बढ़ाये जाये। परन्तु नये सदस्यों को वीटो पावर नहीं दिया जाए।

जुलाई 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण के लिए थाईलेण्ड के पूर्व प्रधानमंत्री आनन्द पण्यार्चुन की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया। इस दल में भारतीय थल सैना के पूर्व जनरल सतीश नांबियार भी शामिल थें। इस कार्यदल ने सुझाव दिया कि सुरक्षा परिषद में

स्थायी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10–11 व अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 12–14 करनी चाहिए। नये सदस्यों का चयन निष्पक्ष मानण्डों जैसे जनसंख्या, अर्थव्यवस्था का आकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम करने में अंशदान व क्षमता के आधार पर किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय समिति ने 3 दिसम्बर 2005 में सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए दो विकल्प प्रस्तुत किए। पहले विकल्प में एशिया–प्रशांत यूरोप–अमेरिका और अफ्रीका से 2–2 स्थायी सदस्य व तीन प्रमुख क्षेत्रों से 1–1 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाए। नये स्थायी सदस्यों को वीटो पावर नहीं दी जाएं। दूसरे विकल्प में स्थायी सदस्यों की संख्या पूर्ववत रहेगी जबकि अस्थायी सदस्यों की एक नई श्रेणी बनायी जाए जिसमें 8 सदस्य हो तथा उनका कार्यकाल 4 वर्ष रहे। 01 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल की श्रेणी का हो, इस तरह कुल सदस्यों की संख्या 24 रहे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संरचनात्मक सुधार हेतु भारत प्रयासरत है। भारत संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक सदस्य रहा है, भारत विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की अनिवार्यता महत्ता और अपरिहार्यता को भली–भांति समझता है। पंडित नेहरू के शब्दों में, "संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हमारे बीच उत्पन्न होने वाले संकटों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है, यदि यह संस्था असफल होती है तो मानव सभ्यता के सामने विनाश के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।" संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में सुरक्षा परिषद सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संस्था है। शीतयुद्ध के बाद एकध्रुवीय विश्व में अमेरिका ने जिस तरह संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की साधना की है। उसे देखते हुए सुरक्षा परिषद की संरचना, कार्यप्रणाली, प्रतिनिधित्व आदि विषयों पर सुधार की बहस तेज हुई। भारत, तीसरे विश्व का एक उत्तरदायी राष्ट्र है। इस नाते भारत ने सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण की मांग को पुरजोर तरीके से रखना शुरू किया है। इस क्रम में 1992 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्द्वाराव ने सुरक्षा परिषद के विस्तार पर बल दिया । नरसिम्हाराव सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे स्वर्गीय प्रणव मुखर्जी ने औपचारिक रूप से भारत की स्थायी सदस्यता का दावा प्रस्तुत किया। दिसम्बर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें सुरक्षा परिषद के विस्तार, प्रतिनिधित्व की बात कही गयी थी। अमेरिका, जर्मनी और जापान के लिए स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहा था, परन्तु भारत के प्रति उसका रवैया उपेक्षापूर्ण था। 1996 में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (C.T.B.T) पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। अतः भारत और उसके बाहर यह माना जाने लगा कि अमेरिका, भारत

को स्थायी सदस्यता नहीं देकर C.T.B.T के प्रति भारत के रवैये को दंडित कर रहा है। परन्तु यह पूर्ण सत्य नहीं था, क्योंकि इस समय न तो सुरक्षा परिषद का विस्तार हुआ और न ही स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई।

अगस्त 1997 में अमेरिका की कांग्रेस (व्यवस्थापिका) की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के अध्यक्ष बेंजामिन गिलमैन ने भारत के लिए स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। यद्यपि यह समर्थन अपरिपक्व ही था, क्योंकि इस प्रस्ताव को कांग्रेस के दोनों सदनों व क्लिंटन प्रशासन से सहमति नहीं मिली थी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के इच्छुक चार देशों भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ने वर्ष 2004 में G–4 (ग्रुप ऑफ फॉर) नामक संगठन बनाया। वर्ष 2005 में G–4 ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के विस्तार का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने इस प्रस्ताव के प्रति कोई उत्साह प्रदर्शित नहीं किया, वहीं चीन ने जापान की सदस्यता का खुले रूप में विरोध किया।

सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जो अब तक दो मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, उन दोनों ही मॉडल में नवीन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर देने का प्रावधान नहीं था। इसलिए G–4 ने इन दोनों ही मॉडल को अस्वीकार कर दिया। G–4 ने चार नए देशो को वीटो पावर के स्थायी सदस्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना जारी रखा। G–4 की आकांक्षाओं के विरुद्ध पाकिस्तान, अर्जेंटाइना, इटली आदि देशों ने कॉफी क्लब UFC (United for consensus) का गठन किया। वर्ष 2005 में भारत की यात्रा पर आए चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओं ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की वृहत भूमिका का समर्थन किया । परन्तु चीन, जापान के लिए स्थायी सदस्यता के विरुद्ध है, इसलिए चीन कॉफी क्लब (UFC½ के माध्यम से G–4 के मार्ग में अड़चने पैदा कर रहा है।

इन सब के बावजूद भारत के प्रयासों में कोई कमी नहीं आयी। वर्ष 2010 की महासभा की बैठक में भारत ने बड़े बहुमत को यह स्वीकार करने पर मजबूर किया कि सुरक्षा परिषद में शीघ्र ही आवश्यक ढांचागत सुधार लाये जाने चाहिए। फरवरी 2011 में G–4 के विदेश मंत्रियों ने बैठक कर सुरक्षा परिषद के विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लाभ, भौगोलिक वास्तविकताओं को प्रतिनिधित्व, परिषद को और अधिक सक्षम, वैध, कारगर बनाने पर वार्ता की। G–4 के प्रति अमेरिका और चीन के उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए भारत ने वर्ष 2007–08 में अफ्रीका, एशिया, कैरिबियाई प्रशांत, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का समूह बनाया । इस समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

का एक प्रस्ताव (मसौदा) रखा। इस प्रस्ताव से ही इस समूह का नाम L–69 रखा गया। इस समूह के माध्यम से भारत ने अपने दावे के प्रति नये मित्रों की खोज की, वर्तमान में इस समूह के सदस्यों की संख्या 42 है। 21 सितम्बर 2023 में L–69 समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के अपने प्रयासों को नया जीवन देने की प्रतिबद्धता जताई। समूह ने रेखांकित किया कि सुधार प्रक्रिया में कमी से न केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा भी प्रभावित होगी। समूह के मंत्रियों की संयुक्त प्रेस वार्ता में भी यह संकल्प दोहराया गया कि अफ्रीका को सुधारित व विस्तारित करके स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियानों में भारत की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रही है और भविष्य में रहेगी, परन्तु यदि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो वैश्विक निर्णयों में भारत की भागीदारी बढ़ने लगेगी। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए मोल–भाव कर सकता है। पश्चिमी शक्तियों और विकासशील ताकतों के मध्य शक्ति संतुलन स्थापित होगा। हिन्द महासागर में भारत का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा। स्थायी सदस्यता से वैश्विक राजनीति में भारत के कद व पद में वृद्धि होगी।

स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने भरसक प्रयन्न किए है और लगातार कर रहा है। अवसर और खतरों के जो मिश्रण इस अनिश्चित और अस्थिर विश्व में उपलब्ध है उनका आकलन आसान नहीं है. परन्तु नीति निर्धारिकों को कठोर वास्तविकताओं का मूल्यांकन करते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत की इस राह में दो ही बडी बाधाएं है अमरीका और चीन। नई दिल्ली को दोनों महाशक्तियों से भिन्न– भिन्न तरीको से कूटनीतिक संवाद करना होगा। भारत की उभरती अर्थव्यवस्था बीजिंग और वाशिंगटन दोनों के लिए आकर्षण का केन्द्र है, भारत प्रभावी और सतंर्क संवाद के जरिए अपने लिए स्थायी सीट हासिल कर सकता है। हमें अमेरिका को एंगेज कर चीन को मैनेज करना है, यूरोप से सम्बंध बढ़ाने है, रूस को आश्वस्त करना है, पडौस का विस्तार कर, पारपंरिक भरोसे के दायरे को बढाना है, अपनी शांति, सहिष्णुता, समरसता, विश्व बंधुत्व की अनूठी सांस्कृतिक ताकत से सम्पूर्ण विश्व का जनादेश प्राप्त कर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, में एक नवीन भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार रहना है।

(संदर्भ) :–

(1) बासु, डॉ0 रुमकी, संयुक्त राष्ट्र (एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रचना एवं कार्य) मयूर पेपरबैक्स, 23, दरियागंज नई दिल्ली।

(2) शर्मा, डॉ0 प्रभुदत्त, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कालेज बुक डिपो, त्रिपोलिया बाजार जयपुर।

(3) सिंघल डॉ0 एस.सी, इन्टरनेशल रिलेशनस, लक्ष्मी नारायण आगरा।

(4) बिस्वाल, तपन अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मैकमिलन पब्लिशर्स इण्ड़िया लिमिटेड़

(5) जैन, प्रो.बी.एम. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, राज. हिंदी ग्रन्थ अकादमी

(6) फडिया, डॉ0 बी. एल., अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा

(7) पंत पुष्पेश, पाण्डेय, जितेंद्र कुमार, 21 वी शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध, मैकग्रा हिल एजुकेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड

(8) पंत पुष्पेश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिशिंग कंपनी लि० नई दिल्ली

(9) पंत पुष्पेश, 21 वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिशिंग कंपनी लि. नई दिल्ली

(10) सिंह, उदयभान, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, विधि आयाम, मुददे और चुनौतियां, मैकग्रा हिल एजुकेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

(11) जयशंकर, एस०, परिवर्तनशील विश्व में भारत की रणनीति, प्रभात प्रकाशन

(12) खन्ना, वी–एन, अरोडा, लिपाक्षी, 'भारत की विदेश नीति' विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा.लि. (पृ. सं. 301–306)

(13) बिस्वाल, तपन 'अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध, द्वितीय संस्करण, ओरियंट ब्लैकस्वान (पृ. सं–429–433)

(14) पांडेय स्वप्निल, संयुक राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत के स्थाई सदस्यता की दावेदारी एवं चुनौतियाँ, एजीपीई द रॉयल गोंडवाना रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम 04 जनवरी 2023 पृ.सं. (63–67)

(15) मोक्ता, अनुष्का, 'द प्रोस्पेक्ट ऑफ इण्डियाज परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कॉउंसिल, 'इन्टरनेश्नल जर्नल फॉर रिसर्च इन एप्लाइड साइस एण्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वाल्यूम 9, इश्यू 12, दिसम्बर 2021 (पृ.सं.115 से 119)